क्षेत्रीय अधिकारी

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

फैजाबाद-224001

संदर्भ संख्या 930/NOC/2014 दिनांक 01.10.2014

सेवा में,

मेसर्स प्रभू कृपा फीलिंग स्टेशन,

ग्राम नैपुरा,

फैजाबाद

विषय : जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1981** के प्राविधानो के अन्तर्गत के स्थापनार्थ सहमति |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विपयक अपने आवेदन पत्र दिनांक **09.09.2014** का संदर्भ लें | आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है |

1- अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है |

(क) स्थल : **गाटा नं0- 599, ग्राम नैपुरा, फैजाबाद |**

(ख) भण्डारण : **डीजल 20 किलोलीटर एवं पेट्रोल 20 किलोलीटर** भण्डारण किया जायेगा |

(ग) मुख्य कच्चे माल : --

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य |

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : **15 के.वी.ए. के** कैनोपीयुक्त डी.जी. सेट हेतु डीजल का प्रयोग किया जायेगा|

उपर्युक्त विपय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा |

2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेपित करें |

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें | जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जायें | यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है |

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये |